

# उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध कौंसिलें

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ

(उ0प्र0 सरकार द्वारा स्थापित)

डिप्लोमा इन नियोनेटल केयर टैक्नीशियन (2 वर्षीय)  
प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के मानक (संस्थान एवं हास्पिटल हेतु)

## प्रास्पेक्ट्स



स्थापित -1926

फोन : 0522.2238846, 3302100, फैक्स : 0522.2236600

ई-मेल : [inspection@upsmfac.org](mailto:inspection@upsmfac.org)

वेबसाइट : [www.upsmfac.org](http://www.upsmfac.org)

## डिप्लोमा इन नियोनेटल केयर टैक्नीशियन

इस हेतु स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी की वेबसाइट पर ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

### अर्ह आवेदक :-

संस्था/सोसाइटी/एन.जी.ओ./ट्रस्ट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। समस्त परिसम्पत्तियाँ सम्बन्धित संस्था/एन.जी.ओ./सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम होनी चाहिये।

### स्कूल का स्टेटस -

शासकीय/निजी/शासकीय सहायता प्राप्त।

### आवेदन शुल्क - (वापस नहीं होगा/अहस्तांतरणीय/एक बार ही जमा होगा)

1. ₹ 2,50,000+(18% GST ) आवेदन-पत्र/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क आन-लाईन [www.upsmfac.org](http://www.upsmfac.org) पर आन-लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

## मानक

### भूमि :

प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि एवं चिकित्सालय की भूमि आवेदित संस्था सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम होनी चाहिये।

प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षण केन्द्र व अस्पताल की दूरी
भवन प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 6000 वर्गफुट एक विषय हेतु। एक से अधिक विषय हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए 2000 वर्गफुट भवन अतिरिक्त।	प्रशिक्षण केन्द्र व अस्पताल की दूरी 5 किमी. से अधिक न हो। दोनों एक ही आवेदक संस्था के नाम हों।

### भवन प्रशिक्षण केन्द्र :

क्रम सं.		निर्मित क्षेत्र
	प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र	6000 वर्ग फुट
	प्राचार्य कक्ष	200 वर्ग फुट
	केन्द्र कार्यालय	200 वर्ग फुट
	रिसेप्शन कक्ष	200 वर्ग फुट
	कक्षा (2 कक्ष)	500 वर्ग फुट प्रति कक्ष (कुल 1000 वर्गफुट)
	प्रयोगशाला - 1 (एनॉट्टमी एवं फिजियोलाजी)	200 वर्ग फुट
	प्रयोगशाला-2 (नियोनेटल लैब)	300 वर्ग फुट
	लाइब्रेरी	400 वर्ग फुट
	कामन रूम (महिला)	150 वर्ग फुट
	कामन रूम (पुरुष)	150 वर्ग फुट
	जनसुविधायें (महिला/पुरुष)	100 वर्ग फुट
	भंडार कक्ष/गोपनीय कक्ष	200 वर्ग फुट
	अडिटोरियम/कामन हाल	2000 वर्ग फुट
	कम्प्यूटर कम अडियो, इन्टरनेट के साथ	300 वर्ग फुट
	टायलेट एवं सर्कुलेशन एरिया	600 वर्ग फुट

## नियोनेटल केयर टैक्नीशियन से सम्बन्धित सुविधाये-

- कैम्पस - नियोनेटल केयर टैक्नीशियन सेन्टर एवं हास्पिटल एक ही कैम्पस में हो तो बेहतर है। यदि अलग-अलग हो तो एक ही मालियत में हो और उनके बीच की दूरी 5 कि.मी. से अधिक न हो।
- आस-पास का विकास - सेन्टर के आस-पास का वातावरण ग्रहणीय हो, बहुत शोर-गुल न हो। वातावरण/पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।
- खेल मैदान/जिम्नेजियम - अनिवार्य नहीं है, हो तो उचित होगा।
- विद्युत व्यवस्था - नियमित पर्याप्त विद्युत कनेक्शन के अलावा समुचित शक्ति का जनरेटर उपलब्ध होना चाहिये।
- कैन्टीन/कैफेटेरिया - स्वयं का हो या Sublet किया गया हो।
- जल - पीने के पेय जल व जन सुविधाओं के लिये समुचित सुविधायें हों।
- आवागमन- आवागमन के समुचित साधन हो।
- हास्टल - पैरामेडिकल प्रशिक्षण में हास्टल अनिवार्य नहीं है। यदि उपलब्ध कराया जाता है तो छात्र हित में होगा।

## अस्पताल के भवन से संबंधित विवरण :-

प्रशिक्षण केन्द्र से दूरी-5 कि.मी. के अन्दर हो। भवन के अन्दर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं हों।

क्षेत्र	क्षेत्रफल
अस्पताल भवन	50 विस्तरों का अस्पताल व साज-सज्जा के अनुसार हो। <b>10 बिस्तरों की आधुनिक उपकरणों के साथ NICU अनिवार्य है।</b>
रिसेप्शन	
ओपीडी	100 मरीज प्रतिदिन
अंतः रोगी कक्ष	न्यूनतम 50 विस्तरों का।
<b>एनआईसीयू</b>	<b>न्यूनतम 10 बिस्तरों का।</b>
आकस्मिक चिकित्सा कक्ष -	
इमरजेन्सी कक्ष	सुसज्जित हो
इमरजेन्सी सुविधाएं	सुलभ हो
एक्स-रे सुविधा	उपलब्ध हो

क्लीनिकल लेबोरेटरी	उपलब्ध हो
जनसुविधाएं (शौचालय)	उपलब्ध हो
विस्तर	उपलब्ध हो
फायर फाइटिंग इश्यूपमेन्ट	उपलब्ध हो
पेयजल	उपलब्ध हो

वाहन - यदि स्कूल व ट्रेनिंग सेन्टर अलग-अलग हैं तो छात्रों के आवागमन हेतु वाहन आवश्यक है।

#### वित्तीय संसाधन :

- आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति का आंकलन निरीक्षक करेंगे।
- भूमि-भवन के अलावा आवेदक के नाम फिक्सड डिपोजिट हो।
- दो वर्ष की बैलेन्स शीट अथवा बैंक एकाउन्ट भी प्रस्तुत करें।
- भूमि, भवन आदि एसेट्स हों।

#### फैकल्टी

टीचिंग फैकल्टी – 30 छात्रों की भर्ती क्षमता तक के लिये।

क्र. सं.	फैकल्टी	योग्यता	संख्या
1.	प्राचार्य	एम.बी.बी.एस./एम.एस. चिकित्सक / पैरामेडिकल विषय विशेष में पोस्ट ग्रेजुएट	1
2.	वरिष्ठ शिक्षक	उपरोक्तानुसार + 5 वर्ष अनुभव	1
3.	शिक्षक	डिप्लोमा या डिग्रीधारक	2
		<b>कुल</b>	<b>4</b>

#### फैकल्टी

प्रशासनिक

क्र.सं.	फैकल्टी	संख्या
1.	क्लर्क कम अकाउंटेंट	1
2.	कम्प्यूटर आपरेटर	1
3.	लाइब्रेरियन/स्टोर इंचार्ज	1
4.	चतुर्थ श्रेणी	2
5.	सफाई कर्मचारी	2
	<b>कुल</b>	<b>7</b>

# डिप्लोमा इन नियोनेटल केयर टैक्नीशियन

## हॉस्पिटल हेतु अनिवार्य सुविधाएँ

1. कम से कम 10 वार्मर यूनिट्स की एन0आई0सी0यू0 होना अनिवार्य है।
2. एन0आई0सी0यू0 में कम से कम 10 नियोनेटल मॉनीटर, 3 नियोनेटल वेन्टीलेटर, 3 बबल सीपैप, फोकोथैरेपी यूनिट समेत एन0आई0सी0यू0 के समस्त उपकरण होना अनिवार्य है।

### भर्ती क्षमता :-

प्रत्येक केन्द्र को सामान्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर अधिकतम 30 छात्र प्रति वर्ष प्रशिक्षण क्षमता हेतु मान्यता प्रदान की जा सकती है। इससे अधिक भर्ती क्षमता का निर्धारण संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं व क्षमता को देखते हुए किया जायेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधाये सुलभ हों।

### प्रशिक्षण अवधि :-

डिप्लोमा इन नियोनेटल केयर टैक्नीशियन प्रशिक्षण की कुल अवधि 2 वर्ष की होगी। पूर्ण प्रशिक्षण को निम्नलिखित प्रकार से बाँटा गया है :

**विन्दु.1** प्रतिदिन 6 घंटे की कक्षाये एवं प्रेक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।  
(प्रति सप्ताह 36 घंटे)

#### **विन्दु.2**

1	रविवार	52 दिन
2	वार्षिक अवकाश	20 दिन
3	राजपत्रित अवकाश,	20 दिन
4	अन्य अवकाश	13 दिन
5	प्रिपरेशन लीव	10 दिन,

.....  
**एक वर्ष में 115 दिन अवकाश**  
.....

### परीक्षा में बैठने की अनुमति -

स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा केवल उन्हीं छात्रों को वार्षिक परीक्षा में बैठाया जायेगा जो प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी/प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित प्रमाणित किया जायेगा। परीक्षा वर्ष में एक बार होगी। अर्थात एक परीक्षा प्रथम वर्ष के अन्त में एवं एक परीक्षा द्वितीय वर्ष के अन्त में। पाठ्यक्रम एवं परीक्षा सम्बन्धित अधिक विवरण हेतु कृपया उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जारी Syllabus and curriculum का अध्ययन करें।

## पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक उपकरण

### कार्यालय के लिये उपस्कर

S.No.	Name of the Equipment	Number
1	Computer with Modem with UPS, Printer with Internet Connection	2
2	Xerox Machine	1
3	Intercom	1
4	Fax Machine	1
5	Telephone	1
6	Public Address System	1

### शिक्षण हेतु उपस्कर

S.No.	Name of the Equipment
1	Furniture for class rooms, library, labs, Principal room, staff room, multipurpose hall, store, computer room, committee/meeting room
2	O.H.P. & L.C.D Projectors: one for each class room
3	Screen: one for each class room
4	White/Colour boards : one for each class room
5	Computer: one for each class room

### प्राचार्य कक्ष हेतु उपस्कर

S.No.	Name of the Equipment	Number
1	Computer with Modem with UPS, Printer with Internet Connection	1
2	Intercom	1
3	Fax Machine	1
4	Telephone	1
5	Public Address System	1

### एनॉटमी एवं फिजियॉलाजी लेब हेतु उपस्कर

S.No.	Name of the Equipment	Number
1	Artificial human skeleton	2
2	Artificial human bone sets	6
3	Charts showing anatomy & physiology of different systems of human body	2 sets
4.	Models showing different organ systems of human body.	2 Sets
5	Other furnitures	As per requirement
6	L.C.D. Projector with screen	1
7	Computer system	1

### नियोनेटल लैब हेतु उपस्कर

S.No.	Name of the Equipment	Number
1	Neonatal beds	4
2	Neonatal dummies	4
3	General and instruments for neonatal care	2 sets
4	Computer and CDs for common neonatal care procedures	1
5	Scrub station	1

### लाइब्रेरी हेतु उपस्कर

1. लाइब्रेरीयन एवं 50 छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर।
2. सभी सम्बन्धित विषयों की पुस्तकें। (समस्त नवीन संस्करण एवं न्यूनतम संख्या 500)
3. 2 समाचार पत्र।
4. 2 जर्नल्स (वैकल्पिक)।

### कम्प्यूटर रूम हेतु उपस्कर

1. 10 कम्प्यूटर सिस्टम्स। (इण्टरनेट सुविधा एवं आवश्यक साफ्टवेयर के साथ)
2. 20 छात्र/छात्राओं के बैठने की व्यवस्था।

## आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले संलग्नक –

### फोटोग्राफ :

1. टीचिंग ब्लाक के सामने का, भवन के पीछे का, कक्षाओं की आन्तरिक, प्रधानाचार्य कक्ष, लाइब्रेरी, रिशेप्शन, प्रयोगशालाओं इत्यादि के फोटोग्राफ।
2. अस्पताल के सामने का, पीछे का एवं आन्तरिक विभागों का, उपकरण/उपस्कर इत्यादि को दिखाते हुये फोटोग्राफ।
3. सम्बन्धित प्रशिक्षण को विशेषज्ञता की उपलब्ध सुविधाओं को दिखलाते हुये अस्पताल के आन्तरिक फोटोग्राफ।

### दस्तावेज :

4. संस्था (सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी) का अद्यतन रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
5. संस्था के बाइलाज/मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन
6. प्रश्नगत पाठ्यक्रम का केन्द्र खोलने हेतु सोसा0/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव की प्रति।
7. संस्था की बैलेन्सशीट (पिछले 2 वर्षों की)
8. प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि (टीचिंग ब्लाक) एवं चिकित्सालय की भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण-पत्र/प्रपत्र (संस्था का ही हो) जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक द्वारा सत्यापित विलेख की प्रति, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
9. टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय का प्रमाणित मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट)।
10. चिकित्सालय का ऑनलाईन पद्धति वाला पंजीयन प्रमाण-पत्र जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
11. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी0सी0बी0) का प्रमाण-पत्र जिसमें बेड संख्या एवं वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
12. अग्नि शमन प्रमाण-पत्र (टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय) दोनों का ऑनलाईन पद्धति वाला स्थायी (पूर्णता कम्प्लीशन) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
13. शपथ पत्र/वचन पत्र को रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर संलग्न करना आवश्यक है।

**नोट:** चिकित्सालय पंजीयन प्रमाण-पत्र/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त, वर्तमान अग्नि शमन प्रमाण-पत्र (टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय दोनों का) स्थायी (प्रोविजनल/मैनुअल मान्य नहीं) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो (ऑनलाईन पद्धति) की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी भी दशा में आवेदन पत्र कार्यालय में जमा नहीं किया जायेगा।

शपथ-पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

आवेदन पत्र के साथ रूपये 100/-के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र  
(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

सचिव,

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी,

लखनऊ।

1. मैं शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी संस्था (संस्था का नाम) .....  
प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व पता.....के द्वारा .....(कोर्स का नाम).....  
डिप्लोमा पैरामेडिकल क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण उ०प्र० सरकार की अनुमति के बिना नहीं चलाया जा रहा है।
2. मैं बचन देता हूँ/देती हूँ कि भविष्य में भी उ०प्र० सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पैरामेडिकल  
के पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रम कोई प्रशिक्षण नहीं चलाऊँगा/चलाऊँगी।
3. यह कि प्रशिक्षण केन्द्र व उससे संबंधित अस्पताल, भूमि का मालिकाना हक मेरी संस्था का ही है।  
उक्त भूमि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्राधिकरण की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं है  
और न ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।
4. यह कि उक्त प्रशिक्षण से संबंधित मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय/सक्षम न्यायालय  
अथवा न्यायिक अभिकरण में किसी भी प्रकार का दीवानी/फौजदारी वाद विचाराधीन/लम्बित  
नहीं है और ना ही किसी प्रकार का स्थगन आदेश ही प्राप्त हुआ है।
5. संस्था के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ..... हे० भूमि है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की  
धारा 89 में उल्लिखित सीमा 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है। (और यदि है तो धारा 89 (3) के  
अर्न्तगत राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुमति प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।
6. मैं राज्य सरकार व उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों व निर्णयों का  
पालन करूँगा/करूँगी। यदि संस्था द्वारा किसी भी दिशा-निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया  
जाता है/आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख/प्रपत्र फर्जी पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता  
समाप्त कर दी जाये।

दिनांक :-

सक्षम प्राधिकारी

संस्था का नाम /पता

**फलो चार्ट :- कब, क्या, कैसे ?**

(कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। उचित होगा कि मानकों का अध्ययन भली-भांति कर लें और यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें कि आपके पास मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं )

आवेदन करने के पूर्व आन-लाईन प्रास्पेक्टस का अध्ययन करें।

आवेदन पत्र आन लाईन [www.upsmfac.org](http://www.upsmfac.org) पर उपलब्ध है।  
पंजीकरण एवं निरीक्षण शुल्क ₹ 2,50,000+18% GST  
( ₹ 2,50,000+18% GST का शुल्क आन लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

आन-लाईन आवेदन फार्म को पूर्ण रूप से भरकर समस्त सम्बन्धित दस्तावेज लगाकर फैकल्टी कार्यालय में जमा करें।

आवेदन पत्र की जांच फैकल्टी स्तर पर की जायेगी।

जाँच में उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्तावित केन्द्र का निरीक्षण नियुक्त निरीक्षकों से कराया जायेगा।

निरीक्षण आख्या एकजीक्यूटिव/शासी समिति से अनुमोदित करायी जायेगी।

निरीक्षण आख्या चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनुमति हेतु भेजी जायेगी।

उ0प्र0 शासन की अनुमति के उपरान्त द्वितीय निरीक्षण के पश्चात् ही केन्द्रों को छात्र भर्ती करने की अनुमति होगी।

शासी समिति द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क प्रतिवर्ष प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कार्यालय में जमा किया जायेगा।

इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट एवं इंडियन नर्सिंग कौंसिल एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी परीक्षक एवं पंजीकरण संस्था है।